

**मूल वाद में डिक्री**

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) सहनाली बड़ी

पीठासीन अधिकारी :- श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.

उनवान

उमेद खान

बनाम

राज-सरकार

दावा बाबत नाम इरुस्ती 0/5 88 R.T.A.

मुकदमा नम्बर :- 110/2021

निर्णय दिनांक :- 22-11-2021

वादी की ओर से स्वयं की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 22-11-21 को श्री राहुल सैनी आर.ए.एस. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

वादी का दावा स्वीकार किया जाकर कृषि भूमि खाता संख्या ख०ने० 154, 165, 189, 193 कुल लादाडी 7.6131 हेक्टेयर रोडी ग्राम सहनाली बड़ी में अंकित वादी का नाम मेदु खान पुत्र मुकारब खान के स्थान पर उमेद खान पुत्र मुकारब खान इरुस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार चूरु अक्ताडु सर राजस्व अभिलेख में अग्रल दरमद करें।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 22-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



( राहुल सैनी )

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

**वाद के खर्चे**

वादी	प्रतिवादी
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	प्लीडर की फीस
4. ....रुपये पर प्लीडर की फीस	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस	कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामिल	
जोड़	जोड़



110/2021 206  
22-11-2021